न्यायालय न्याय निर्णयन अधिकारी एंव अपर जिला मजिस्ट्रेट बाड़मेर

पीठासीन अधिकारी श्री ओ0पी0बिश्नोई आर.ए.एस.

परिवाद संख्या 06/2018

प्रार्थी		अप्रार्थी
भूराराम गोदारा खाद्य सुरक्षा अधिकारी कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी बाड़मेर	बनाम	मदनलाल पुत्र नेमीचन्द जाति जैन निवासी कल्याण पुरा, शिवकर रोड़ बाड़मेर, जिला बाड़मेर (मैसर्स महावीर किराणा स्टोर का मालिक)

अन्तर्गत धारा 26 की उप धारा 2 (v) खाध सुरक्षा एंव मानक अधिनियम, 2006 व नियम 2011

उपस्थितः–1. श्री दौलतराम सहायक लोक अभियोजक प्रथम प्रार्थी की ओर से।
2. अप्रार्थी उपस्थित।

निर्णय

दिनांक 26.3.2018

1. प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत परिवाद के अनुसार दिनांक 11.06.2017 को खाद्य सुरक्षा अधिकारी बाड़मेर के दोपहर 12.00 बजे मैंसर्स महावीर किराणा स्टोर बाडमेर पहुचंने पर दुकान में एक व्यक्ति बैठा हुआ मिला, जिसका नाम व पता पूछने पर अपना नाम मदनलाल पुत्र नेमीचन्द जाति जैन उम्र 45 वर्ष निवासी बाड़मेर जिला बाड़मेर (फर्म मालिक) बताया गया। दुकान का निरीक्षण करने पर दुकान में अन्य किराणा सामग्री के साथ पॉम ऑयल (खुला) जो एक स्टील की टंकी में लगभग 10 लीटर भरा हुआ पाया गया। उक्त पॉम ऑयल (खुला) में मिलावट का संदेह होने पर रूबरू गवाह के समक्ष मालिक विक्रेता को जरिये रसीद रूपये

न्याय निर्णयन अधिकारी एव
अपर जिला मजिस्ट्रेट बाड़मेर

115/– नगद अदा कर 1600 एल.एल.पॉम ऑयल (खुला) खरीदा एवं रूपयो की रसीद/केश मीमो प्राप्त की। विक्रेता व गवाह के सामने 4 लेबल तैयार किये गये उन पर डी.ओ.कोड व सीरियल नम्बर पी. 790 खाद्य पदार्थ का विवरण एंव नमूना लेने का स्थान एंव दिनांक आदि विवरण अंकित किया। खरीदे हुए पॉम ऑयल (खुला) को चार कांच की शीशीयो (जो साफ, सुखी एवं खाली थी) में बराबर–बराबर मात्रा में भरकर प्रत्येक शीशी पर एयरटाईट ढक्कन लगाया। प्रत्येक शीशी पर लेबल चिपकाया जाकर प्रार्थी व गवाहो व मालिक विक्रेता के हस्ताक्षर करवाये गये। प्रत्येक नमूने को मोटे व खाखी कागज में लपेट कर इस पर पेपर स्लीप कोड एंव सीरियल नम्बर पी–790 चिपकाकर नियमानुसार सील बंद किया। प्रत्येक नमूने पर विवरण लिख कर प्रार्थी व गवाहो ने पेपर स्लीप को क्रॉस करते हुए अपने–अपने हस्ताक्षर किये। फार्म नम्बर 5 ए भरकर गवाहो के हस्ताक्षर कराये जिसकी प्रति मालिक विक्रेता को दी गई। मौके पर ही गवाहो की उपस्थिति में मौका फर्द तैयार की गई। उक्त समस्त कार्यवाही पूर्ण करने के बाद कार्यालय आकर नमूना पी–790 जॉच हेतु खाद्य विश्लेषक, खाद्य सुरक्षा एंव मानक प्रयोगशाला जोधपुर भिजवाया गया। फार्म नम्बर 06 की सात प्रतियां तैयार की गई। नमूना सील जिसका प्रयोग सेम्पल लेते वक्त नमूना सील करने में किया गया था, एक प्रति नमूने के साथ रखकर आउटर कवर के साथ उसी ब्राससील से सील किया जिसका प्रयोग चारो नमूनो को सीलबन्द करने में किया गया एंव आउटर कवर पर नमूना विवरण अंकित किया गया एंव एक लिफाफे में फार्म नम्बर 06 की एक प्रति रखकर खाद्य सुरक्षा लैब जोधपुर का पता अंकित कर ब्राससील द्वारा लिफाफे को सील बन्द किया गया। नमूनो के शेष दूसरा, तीसरा व चौथा मय फार्म नम्बर 06 की एक प्रति आउटर कवर में ब्राससील से सील कर सील अवस्था में अभिहित अधिकारी एंव मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी बाड़मेर को भिजवाने जाने का उल्लेख किया। प्रार्थी द्वारा परिवाद में यह भी उल्लेखित किया गया कि खाद्य पदार्थ पॉम ऑयल (खुला) की नमूना जांच रिपोर्ट फूड एनालिस्ट जोधपुर के क्रमांक एलएस/579/एक्ट/2017/579 दिनांक 21.6.2017 से अभिहित अधिकारी एंव मुख्य चिकित्सा एंव स्वास्थ्य अधिकारी, बाड़मेर को प्राप्त हुई, जिसके अनुसार खाद्य पदार्थ पॉम ऑयल (खुला) का नमूना पी–790 प्रतिबन्धित contravenes regulation no. 2.3.15 (1)(b) स्तर का पाया गया। जॉच में प्रतिबन्धित contravenes regulation no. 2.3.15 (1) (b) पाये गये खाद्य पदार्थ पॉम ऑयल (खुला) का विकय करना

न्याय निर्णयन अधिकारी एव
अपर जिला मजिस्ट्रेट बाड़मेर

खाद्य सुरक्षा एंव मानक अधिनियम 2006 एावं नियम 2011 की धारा 26 की उप धारा 2 (v) का उल्लंघन होना पाये जाने के फलस्वरूप अप्रार्थी के विरूद्व प्रार्थी खाध सुरक्षा अधिकारी, बाड़मेर ने समुचित कार्यवाही किये जाने हेतु यह परिवाद पेश किया है।

2. परिवाद प्राप्त होने पर प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी को कारण बताओ नोटिस जारी किये गये।

3. अप्रार्थी स्वयं ने दिनांक 14.3.2018 को उपस्थित होकर नोटिस का जवाब पेश किया। बहस के दौरान् जाहिर किया कि जांच रिपोर्ट में मेरी दुकान से भरे गऐ पॉम ऑयल (खुला) के सेम्पल में किसी प्रकार की मिलावट नहीं पाई गई। केवल पॉम ऑयल को खुला बेचे जाने के कारण एफएसओ द्वारा यह प्रकरण बनाया गया है। प्रकरण का निस्तारण लोक अदालत की भावना को ध्यान में रखते हुए कराया जाये।

4. प्रार्थी की ओर से सहायक लोक अभियोजक प्रथम बाड़मेर ने बहस के दौरान् बताया कि दिनांक 11.06.2017 को जांच के दौरान् पॉम ऑयल (खुला) में मिलावट होने का संदेह होने पर नियमानुसार लिया गया नमूना पी–790 फूड एनालिस्ट राज. जोधपुर की जॉच रिपोर्ट में प्रतिबन्धित contravenes regulation no. 2.3.15(1)(b) स्तर का पाया गया है, जो खाद्य सुरक्षा एंव मानक अधिनियम की धारा 26 की उपधारा 2(v) का उल्लंघन है। इसलिये अप्रार्थी पर जुर्माना आरोपित किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।

5. हमने उभय पक्ष की बहस सुनी। परिवाद में वर्णित तथ्यों एंव इसके संलग्न दस्तावेजात तथा खाद्य विशलेषक जोधपुर से प्राप्त जॉच रिपोर्ट संख्या एलएस/579/एक्ट/2017/579 दिनांक 21.6.2017 का अवलोकन किया। अप्रार्थी द्वारा बेचा जा रहा खाद्य पदार्थ पॉम ऑयल (खुला) का नमूना पी. 790 जॉच में प्रतिबन्धित contravenes regulation no. 2.3.15(1)(b) का पाया गया जो खाद्य सुरक्षा एंव मानक अधिनियम की धारा 26 की उपधारा 2(v) का उल्लंघन है, जिसके लिये अप्रार्थी दोषी प्रतीत होते है।

6. अतः उपरोक्त विवेचन से स्पष्ट है कि अप्रार्थी द्वारा खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम 2006 व नियम 2011 और विनियम 2011 की धारा 26 की उप धारा 2 (v) उल्लंघन किया गया है। जिसके लिये उपरोक्त अधिनियम की धारा 58 में प्रतिबन्धित contravenes regulation no. 2.3.15 (1) (b) स्तर का खाद्य पदार्थ पाये जाने पर शास्ति आरोपित किये जाने का प्रावधान है। अतः खाद्य सुरक्षा एंव मानक अधिनियम 2006 एंव नियम 2011 की धारा 26 की

न्याय निर्णयन अधिकारी एव
अपर जिला मजिस्ट्रेट बाड़मेर

उप धारा 2 (v) का उल्लंघन करने एवं अपराध कारित करने के फलस्वरूप तथा लोक अदालत की भावना को ध्यान में रखते हुए उक्त अधिनियम की धारा 58 के तहत अभियुक्त मदनलाल पर रूपये 5000/— अक्षरे पांच हजार मात्र शास्ति आरोपित की जाती है। अभियुक्त उपरोक्त शास्ति की राशि मुख्य चिकित्सा एंव स्वास्थ्य अधिकारी बाड़मेर के नाम डिमाण्ड ड्राफ्ट के माध्यम से निर्णय तारीख 26.3.2018 से एक माह के अंदर—अंदर जमा कराकर रसीद प्राप्त करें।

(ओ0पी0बिश्नोई)
न्याय निर्णयन अधिकारी एंव
अपर जिला मजिस्ट्रेट,बाड़मेर
न्याय निर्णयन अधिकारी एवं
अपर जिला मजिस्ट्रेट बाड़मेर

आदेश खुले न्यायालय में आज दिनांक 26.3.2018 को सुनाया गया।

न्याय निर्णयन अधिकारी एंव
अपर जिला मजिस्ट्रेट,बाड़मेर
न्याय निर्णयन अधिकारी एवं
अपर जिला मजिस्ट्रेट बाड़मेर